ISSN - 2348-2397
UGC CARE LISTED JOURNAL
DIS

शोध सरिता

January-March, 2021
Vol. 8, Issue 29
Page Nos. 158-162

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति परिवारों के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन

भागवत प्रसाद साहू*
डॉ0 बी. एल. सोनेकर**

शोध सारांश

यह पत्र छत्तीसगड़ के कोंडा गाँव में स्वास्थ्य और शिक्षा को संबोधित करता है। जिसमें छत्तीसगड़ के कोंडागांव की स्वास्थ्य संरचाना पर एक अंतर्निहित सिद्धांत को संबोधित करता है। यह प्रबंधन प्रकिया को संबोधित करने में महत्वपूर्ण घटक के रूप में अनुसूचित जनजाति पर केंद्रित है जो SC/ST के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की योजानाओं की उपलब्धता को दर्शाता है जिससे पता चलेगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति कैसी हैं, जिससे छत्तीसगड़ के गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार और बेहतर विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रयास किया जा सकता है।

Keywords : अनुसूचित जाति एवं जनजाति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या, योजना।

1. प्रस्तावना :–

छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग एक तिहाई जनसंख्या जनजातियों की है। 16 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है जबकि 42 प्रतिशत जनसंख्या अन्य पिछड़ी जातियों की है। इसकी 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और आजीविका के साधन के रूप में मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है। यद्यपि बीते कुछ वर्षों के दौरान छत्तीसगढ राज्य के कुल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में हिस्सेदारी उत्तरोतर बढ़ती जा रही है, जो कि इस बात का द्योतक है कि राज्य में औद्योगिक विकास हो रहा है, हालांकि कृषि अभी भी हजारों जनजातियों की मुख्य आजीविका है।

किसी भी देश की निर्धनता और सम्पन्नता बहुत हद तक देश के भौगोलिक संसाधनों पर निर्भर करती है। भारत, ब्रिटेन तथा अमेरिका सहित संसार में सभी विकासशील और विकसित देश गरीबी की समस्या से पीड़ित है क्योंकि बाजार तंत्र धनी को और अधिक धनी तथा निर्धन को अधिक निर्धन बना देता है। जनसंख्या वृद्धि भी गरीब परिवारों में नए गरीब पैदा कर रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार स्थानिक तौर पर अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर में कुल वृद्धि 1991 की जनगणना की तुलना में लगभग दोगुनी थी। यह प्रतिशतता राष्ट्रीय स्तर पर सभी जनजातियों की प्रतिशतता से भी अधिक है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पुरूषों तथा महिलाओं की साक्षरता अधिक है, जो यह दर्शाता है कि उनके यहां लम्बे समय से जनजातियों में साक्षरता प्राप्त करने के अवसर मौजूद रहे हैं और इसका श्रेय वहां मौजूद मिशनरी संस्थाओं को दिया जा सकता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को "उन जनजातियों या समुदायों या ऐसे जनजातियों या जनजातीय समुदायों के समूह के रूप में परिभाषित करता है, जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना जाता है"। एल। पी। विद्यार्थी के अनुसार जनजाति एक सामाजिक समूह है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र, सामान्य नाम, सामान्य वंश, सामान्य संस्कृति, एक परस्पर समूह का व्यवहार, सामान्य वर्जनाएं, विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक प्रणालियों का अस्तित्व और पूर्णता शामिल है। नेताओं में विश्वास और उनका अलगाव। आर्थिक आत्मनिर्भरता है (विद्यार्थी, 1981)। अनुसूचित जनजातियों के लोग अपने आदिम लक्षणों, अलग संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क के शर्मीलेपन के कारण अन्य समुदायों से भिन्न होते हैं। ऐतिहासिक रूप से, स्वतंत्रता के बाद भी, अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न लाभों से वंचित किया गया है और भारतीय संविधान में इसे अच्छी तरह से मान्यता दी गई है। आजादी के बाद से भारत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करना है। अनुसूचित जनजातीय आबादी भारत की आबादी के सबसे कमजोर वर्ग को पारिस्थितिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के पहलुओं से जोड़ती है। वे मुख्य रूप से राष्ट्र में व्यापक

*सहायक प्राध्यापक – शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय केशकाल जिला– कोण्डागांव (छ. ग.)
**सह–प्राध्यापक – अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)

Scanned by TapScanner

अध्ययन का उद्देश्य :–

1. छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति परिवारों के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना :–

1. अनुसूचित जनजाति परिवारों को स्वास्थ्य और सरकारी शिक्षा योजनाओं लाभ नही मिलता है।

शोध प्रविधि :–

इस शोध का मुख्य उद्देश कोण्डागांव में अनुसूचित जनजातियों की स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति का आकलन करना है और छत्तीसगड़ के कोण्डागांव को एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। विभिन्न सरकारी योजनाओं से अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन और सुविधा काउंटर सिस्टम के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र के 100 अनुसूचित जनजाति परिवारों के अध्ययन के नमूने के रूप में एक आत्म–संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी। विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में बदलाव का आकलन करने के लिए चयनित परिवारों के बीच साक्षात्कार आयोजित करके प्राथमिक साक्षात्कार संकलित किए गए हैं। एकत्र किए गए डेटा को 21.0 में सारणीबद्ध किया जाता है और विश्लेषण किया जाता है।

ऑकड़ों का विश्लेषण

1. सरकारी शिक्षा योजनाओं की उपलब्धता :–

सरकारी शिक्षा योजनाओं की उपलब्धता			
Response	Frequency	Percent	Cumulative Percent
very good	7	1.8	1.8
good	189	47.3	49
normal	192	48	97
bad	12	3	100
Total	400	100	

स्रोतः सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक ऑकड़े

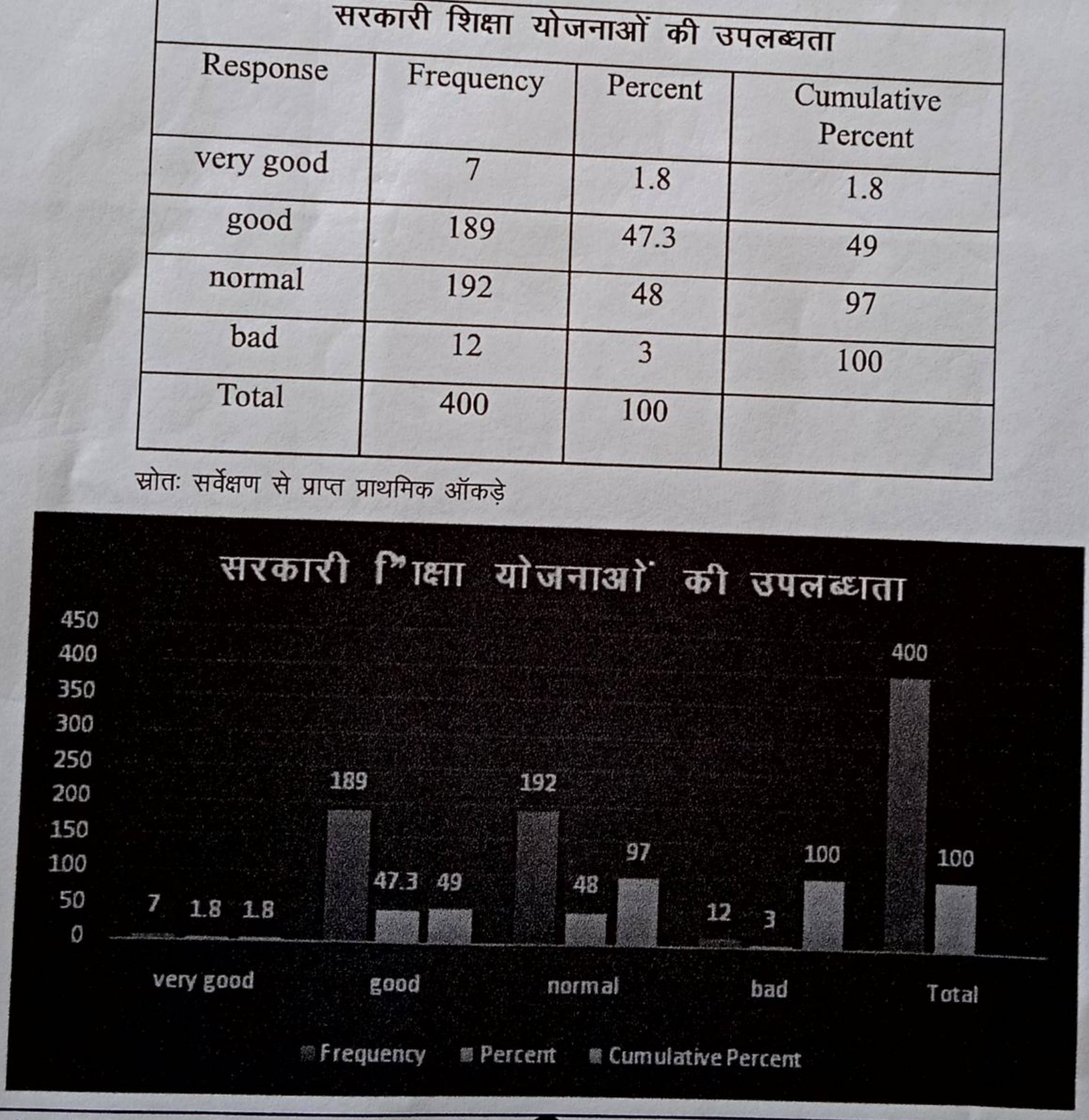

Scanned by TapScanner

इस सर्वेक्षण में यह बताया है कि सरकारी योजजाओं सरकारी शिक्षा योजनाओं की उपलब्धता कैसी है जिसको हमने दो भागों में विभाजित किया है जिसके प्रथम पद में हमने योजनाओं की उपलब्धता स्थिति बहुत अच्छा दर्शाया और इसकी आवृति 7 है तथा प्रतिशत में 1.8 है, द्वतीय पद में स्थिति को अच्छा दरशाया जिसकी आवृति 189 है तथा प्रतिशत में 47.3 है, तृतीय पद में हमने स्थिति को सामान्या दर्शाया है जिसकी आवृति 192 है तथा प्रतिशत में 48 है चतुर्थ पद में हमने इसकी स्थिति को वेकार दर्शाया है जिसकी आवृति 12 है तथा प्रतिशत में 3 है।

2. **अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में स्वस्थ्य का स्तर :–**

प्रतिवादी के परिवारों द्वारा खद्यान्न की पर्याप्त मात्रा का उपभोग			
Response	Frequency	Percent	Cumulative Percent
yes	400	100	100
No	00	00	00

स्रोतः सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक ऑकड़े

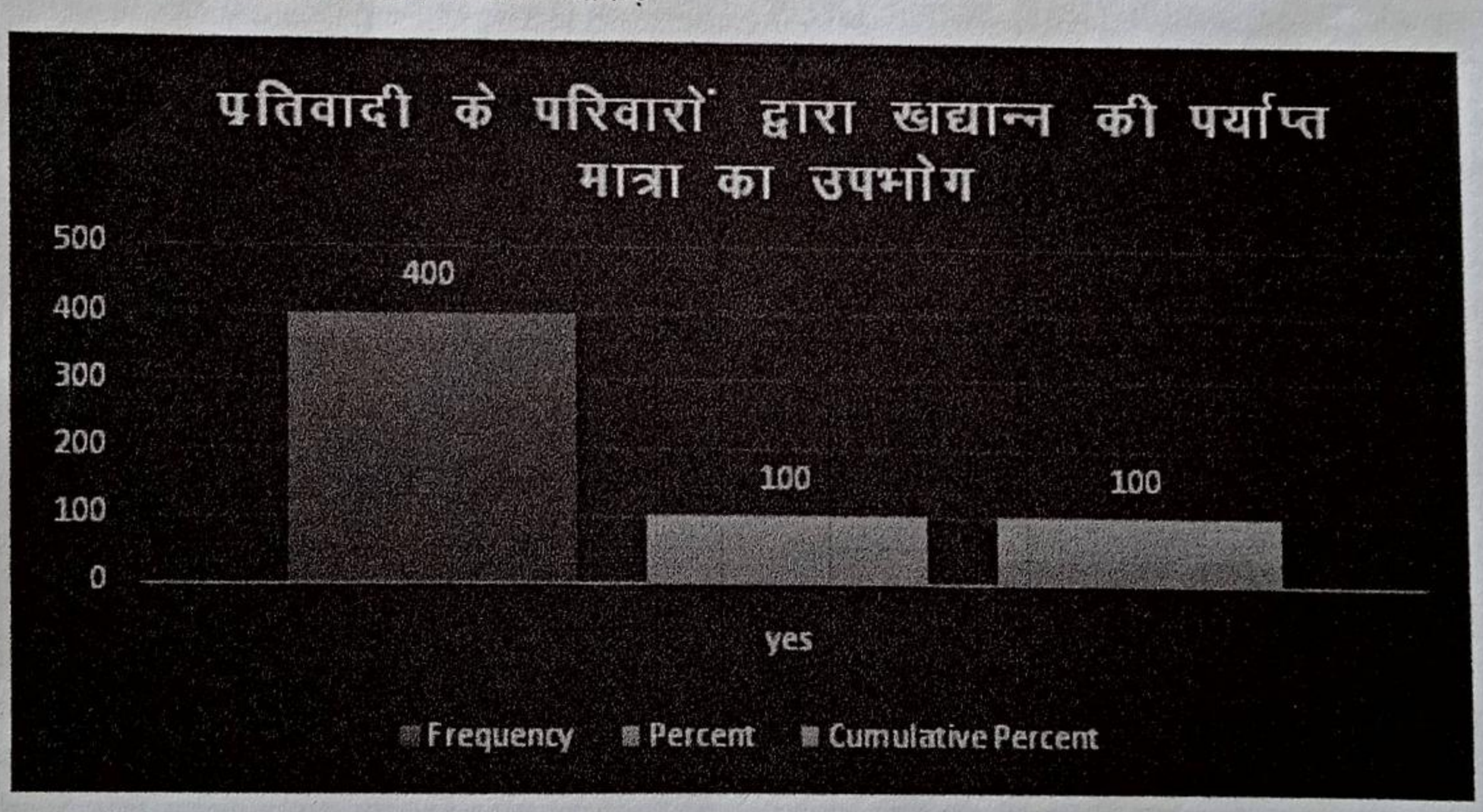

इस सर्वेक्षण में दर्शाया गया है कि क्या प्रतिवादी के परिवार खद्यन्न की पर्याप्त मात्रा का उपयोग करता है या नही और इस तालिका को दो भागों में बाटा गया है जिसके प्रथम पद में प्रतिवादी के परिवार खद्यान्न की पर्याप्त मात्रा का प्रयोग करने वालो की आवृति 400 है तथा प्रतिशत में 100 है, द्वितीय पद में प्रतिवादी के परिवार खद्यान्न की पर्याप्त मात्रा का प्रयोग नही करने वालो की आवृति 00 है तथा प्रतिशत में 00 है।

निष्कर्ष :–

भौतिक और आर्थिक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन में पर्याप्त संसाधनों को जुटाकर और जिला सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आवंटित करके कुमार खंड को बदलने की क्षमता है, जबकि व्यय की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए, अंततः अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता और सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण को बढ़ा रहा है। किसी भी सरकार का अंतिम उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है जो जनसंख्या के निरंतर मानव विकास

Scanned by TapScanner

गरीबी का एक प्रमुख हिस्सा है। इसका कारण यह है कि वे सदियों से कई नागरिक सुविधाओं से शोषित और व्यावहारिक रूप से वंचित हैं। ब्रिटिश सरकार ने कस्बों और गांवों में आदिवासी आबादी के उत्थान के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान कीं जैसे शिक्षा, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि। लेकिन ये सुविधाएं अपर्याप्त थीं और मुख्य रूप से निहित स्वार्थों के साथ। हालाँकि, आजादी के बाद, सरकार ने उनके उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं और उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ा है। 2011 की अनुसूची में भारत की सबसे हालिया जनगणना के अनुसार, जनजातियों में 8.6 प्रतिशत जनसंख्या शामिल है।

साहित्य की समीक्षाः–

इस उद्देश्य के लिए, माध्यमिक डेटा एकत्र किया गया है। जनसंख्या– और साक्षरता से संबंधित जानकारी जनगणना 2011 की रिपोर्ट से प्राप्त की गई है और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2015–2016 (NFHS–2015–2016) से एकत्र की गई है। इस अध्ययन में एससी जनसंख्या की साक्षरता स्थिति, लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात और अन्य स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को दर्शाया गया है। इसके अलावा, अध्ययन अनुसूचित जाति की आबादी की स्थिति की तुलना अन्य जनसंख्या श्रेणियों के साथ करता है।[1]

अनुसूचित जनजाति भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग–थलग और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं। आजादी के बाद के समय में, आदिवासियों के आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए ईमानदार और ठोस प्रयास किए गए थे। इन प्रयासों के बावजूद शिक्षा में जनजातियों का प्रदर्शन अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम है। जैसा कि आदिवासी शिक्षा पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि नीति निर्माताओं ने सांस्कृतिक रूप से जुड़ी शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया। इससे बाहरी गिरावट आई है और सीधे उनकी समग्र शैक्षिक स्थिति पर असर पड़ा है।[2]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिए के समुदायों के लिए शैक्षिक योजनाएं भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थीं ताकि उन्हें मुफ्त शैक्षणिक सुविधाओं के साथ सशक्त बनाया जा सके। ऐसे कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए, एससी/एसटी सदस्यों को उनके बारे में पता होना चाहिए और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। हालांकि, अस्पृश्यता की प्रथा और उनके आवासों की सुस्ती के कारण, एससी और एसटी को कई सदियों से मुख्यधारा की आबादी से अलग होना पड़ा है। नतीजतन, वे शैक्षिक बहिष्कार की एक उच्च डिग्री से पीड़ित हैं। एससी और एसटी का उत्थान, दोनों आर्थिक और सामाजिक रूप से, समावेशी शिक्षा प्रयासों से ही संभव होगा। यह अध्ययन कोयंबटूर में दो ग्रामीण गांवों में एससी/एसटी समुदायों के बीच प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में शैक्षिक योजनाओं पर अनभिज्ञता की भूमिका पर केंद्रित है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकांश सीमांत समुदाय शैक्षिक योजनाओं से अनजान बने हुए हैं और योजनाओं के सभी प्रावधानों का उपयोग करने में असमर्थ हैं।[3]

भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति (ST) को विशेष दर्जा प्रदान करता है। परंपरागत रूप से आदिवासी, वनवासी, जनजाति या आदिवासी कहलाते हैं। एसटी का गठन भारतीय आबादी का लगभग 8% है। देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 573 अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, जिनकी अपनी भाषाएँ राज्य में बोली जाने वाली एक भाषा से भिन्न हैं जहाँ वे रहती हैं। भारत में ऐसी 270 से अधिक भाषाएँ हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में जनजातीय आबादी लगभग 67-8 मिलियन है। आदिवासियों की सबसे बड़ी संख्या अविभाजित मध्य प्रदेश (16-40 मिलियन) में है, इसके बाद उड़ीसा (7 मिलियन) और बिहार (6-6 मिलियन) है। हालांकि, कुल आबादी में आदिवासियों का सबसे बड़ा अनुपात मिजोरम (95%) में है, इसके बाद लक्षद्वीप (93%), नागालैंड (88%), मेघालय (86%), और अरुणाचल प्रदेश (64%) हैं। नौ राज्य – मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगालय भारत में जनजातीय आबादी के चार–पाँचवें हिस्से के लिए एक साथ खाता है। जनजाति या जनजाति शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि अनुच्छेद 342 के अनुसार, एसटी उस जनजाति या आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

जनजाति पारंपरिक हिंदू जाति संरचना का हिस्सा नहीं हैं। भारत में एसटी दुनिया के अन्य हिस्सों में ष्स्वदेशीष् या ष्देशी लोगोंष् के समान हैं। यह महसूस करते हुए कि अनुसूचित जनजातियाँ शिक्षा के संबंध में सबसे वंचित और हाशिए वाले समूहों में से एक हैं, आजादी के दौरान कार्यक्रमों और उपायों की मेजबानी शुरू की गई थी। 5 वीं पंचवर्षीय योजना से जनजातीय उप–योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। एसटी बच्चों की शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है, न केवल संवैधानिक दायित्व के कारण, बल्कि जनजातीय समुदायों के कुल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में। प्रस्तुत पत्र में भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के खम्मम जिले में आदिवासियों के बीच शिक्षा के विकास के उपायों का सुझाव देने और शिक्षा के विकास के लिए सुझाव देने का प्रयास किया गया था। अध्ययन से पता चलता है कि दूरस्थ क्षेत्र के लोग अंधविश्वासी हैं और अंध विश्वासों के आदी हैं। इसलिए, वे शिक्षा के मूल्य को नहीं समझते हैं।[4]

Scanned by TapScanner

में बदल जाता है। यह पत्र उसी दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त समीक्षा है, जो मधेपुरा जिले में कुमार खंड पंचायत को अपने पिछले दशकों से अपने सार्वजनिक आर्थिक वित्त के लिए पर्याप्त वृद्धि और विकास संरचना का अनुभव देता है। इसलिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मधेपुरा जिले में किशनगंज ब्लॉक की आर्थिक और भौतिक स्थिति में निरंतर सुधार ने इन वांछनीय परिवर्तनों में बहुत योगदान दिया है। इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति परिवारों को स्वास्थ्य और सरकारी शिक्षा योजनाओं लाभ मिलता है। हालांकि, सार्वजनिक वित्त के कुछ पहलू अभी भी बने हुए हैं, जो उचित प्रक्रिया के माध्यम से सुधार की मांग करते हैं।

सन्दर्भ :–

1. Raghavendra R. H., "Literacy and Health Status of Scheduled Castes in India" Journals Publications India (Pvt) Ltd, 2020, DOI: 10.1177/2455328X 19898449
2. T. BRAHMANANDAM AND T. BOSU BABU, "Educational Status among the Scheduled Tribes: Issues and Challenges", The NEHU Journal, 2016, Vol XIV, No. 2, July-December 2016, pp 69-85 ISSN. 0972–8406
3. Aiswarya Radhakrishnan, Nisanth.M.Pillai, Rao R Bhavani, Dr. Georg Gutjahr, Dr.Prema Nedungadi "Awareness and Effectiveness of Educational Schemes for Scheduled Caste and Scheduled Tribes in Coimbatore District", International Journal of Pure and Applied Mathematics ,2018, Volume 119 No. 15 2018, 1933-1941, ISSN: 1314-3395 (on-line version)
4. Pacha Malyadri, "Education for tribal children: An engine for human development", International Journal of Research Studies in Education, 2012 , Volume 1 Number 1, 99-106.

❒❒❒

Scanned by TapScanner

ISSN - 2229-3620
UGC CARE LISTED JOURNAL
EIS

शोध संचार
बुलेटिन

January-March, 2021
Vol. 11, Issue 41
Page Nos. 27-31

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

अनुसूचित जनजाति परिवारों के सामाजिक, आर्थिक स्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन
(छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के विशेष संदर्भ में)

❐ भागवत प्रसाद साहू*
डॉ0 बी. एल. सोनेकर**

शोध सारांश

यह पत्र छत्तीसगड़ के कोंडागाँव में अनुसूचित जनजाति परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्तर की समीक्षा करता है। प्रस्तुत अध्ययन में रोजगार, आय एवं ब्यवसाय के विभिन्न आयामों को प्रमुखता से विश्लेशण किया गया है। शोध पत्र मे आर्थिक प्रभाव की शून्य परिकल्पना ली गई है और अनुसूचित जनजाति परिवारों की वर्तमान परिदृश्य के विश्लेशण के साथ भविश्य की सम्भावनाओं की समीक्षा प्रस्तुत किया गया है।

Keywords : अनुसूचित जनजाति; सामाजिक स्थिति; आर्थिक स्तर; रोजगार; आय;

1. प्रस्तावना :

प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से कृषि उत्पादन पर निर्भर है और जहां सुखे जैसे स्थिति से जनजातियों की आर्थिकता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और सूखे के प्रभाव को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व के लिए स्थायी अवसर पैदा करने के उद्देश्य से, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, 1995–96 से देश में वाटरशेड क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जन सहभागिता प्रणाली को मिट्टी, पानी और वनस्पति जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से रणनीति का एक अभिन्न अंग बनाया गया था। वाटरशेड डेवलपमेंट की इस अवधारणा के आधार पर, परियोजना के तहत अनुसूचित कार्यों के आकलन, इसे लागू करने और परियोजना के पूरा होने, परिसंपत्तियों के रख रखाव आदि जैसी गतिविधियों में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। भूजल को फिर से भरने और उचित मात्रा में निवेश करने के लिए, वर्ष 2008 में, समेकन के उभरते मुद्दों में अभिनव परिवर्तनों की आवश्यकता भारत सरकार द्वारा महसूस की गई थी। विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जारी जल ग्रहण परियोजनाओं के समेकन, नेटवर्किंग और सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सामान्य वाटरशेड्स, 2008 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

भारत के जंगलों और दुर्गम जंगलों में रहने वाले कई मानव समुदाय सभ्यता के विकास क्रम से विभिन्न कारणों से अलग–अलग रहे, परिणाम स्वरूप विकास का प्रकाश उन तक नही पहुंच सका। इन समुदायों के लोगों ने आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, वनवासी आदि का नाम दिया। आदिम का शाब्दिक अर्थ सबसे पुराना, प्राचीन या मूल है। जैसे भील, कोल, किरात, निषाद आदि। वर्तमान समय में "जनजाति" शब्द अंग्रेजी शब्द ट्राइब का हिंदी पर्याय है।

2. साहित्य का पुनरावलोकन :

पिछड़ो के विकास के लिए अपनाई गई सरकारी परियोजनाओं पर भारत असंख्य साहित्य उपलब्ध हैं। बड़ी संख्या में अनुभवजन्य और साथ ही सैध्दांतिक अध्ययन उनके विभिन्न आयामों पर प्रस्तुत किए गए है। क्षेत्र के गरीबों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करने के लिए इसमें कई अनुभवजन्य अध्ययन पहले ही किए जा चुके है।

शरत चंद्र रॉय (1925, पुनर्मुद्रित 1978) ने अपने शोध अध्ययन में छोटानागपुर के एक आदिम जनजातीय समूह बिरहोर की स्थितियां द बिरहोर में सामाजिक–आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की है। इस लेख में पूरी तरह से बिरहोरों की सामाजिक,सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का वर्णन किया गया है। लेकिन लेख में बिरहोरों की बदलती सामाजिक–आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगाया है।

एम एस अहलूवालिया (भारत में ग्रामीण गरीबी और कृशि प्रदर्शन, The Journal of Development Studies, 1978) ने 1973–74 की अवधि के लिए भारत में ग्रामीण गरीबी की घटनाओं

*सहायक प्राध्यापक – शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय केशकाल जिला– कोण्डागांव (छ. ग.)
**सह–प्राध्यापक – अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.)

Scanned by TapScanner

के रूझान का अनुमान लगाया। उन्होंने गरीबी रेखा का इस्तेमाल 1960–61 में प्रति माह 15 रूपये प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और रूपये के व्यय स्तर के रूप में किया था। उनके अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण गरीबी की सीमा में समय के साथ उतार–चढ़ाव आया जो कि 1956–57 में शुरू में 54.1 प्रतिशत से घटकर 1960–61 में 38.9 प्रतिशत हो गया, मध्य साठ के दशक के माध्यम से तेजी से बढ़कर 56.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गया। 1967–68 और फिर 1973–74 में फिर से घटकर 46.1 प्रतिशत हो गया।

3. अध्ययन का उद्देश्य :

अध्ययन क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के परिवारों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

4. भाोध प्रविधी :

इस शोध का मुख्य उद्देश कोण्डागांव में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक स्तर का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है और छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव को एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। विभिन्न सरकारी योजनाओं से अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन की समीक्षा के लिए अध्ययन क्षेत्र के 400 अनुसूचित जनजाति परिवारों के अध्ययन के नमूने के रूप में एक स्व–संरचित प्रश्नावली तैयार की गई थी। विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में बदलाव का आकलन करने के लिए चयनित परिवारों के बीच साक्षात्कार सें प्राथमिक आकड़े संकलित किए गए हैं।

5. परिकल्पना :

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से अनुसूचित जनजाति के परिवारों के आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नही हुआ है।

6. ऑकड़ों का विश्लेषण :

तालिका कमांकः 6.1 रोजगार का स्तर

व्यवसाय	आवृति	प्रतिशत	संचित प्रतिशत
मजदूरी	45	11.3	11-3
कृषि	90	22.5	33.8
फेरी का व्यवसाय	110	27.5	61.3
छोटे व्यवसाय	45	11.3	72.5
निजी नौकरी	45	11.3	83.8
सरकारी नौकरी	45	11.3	95.0
परिवार की समस्त स्त्रोत आय :	20	5.0	100.0
कुल	**400**	**100.0**	

स्रोतः सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक ऑकड़े

चित्र कमांक 6.1 रोजगार का स्तर

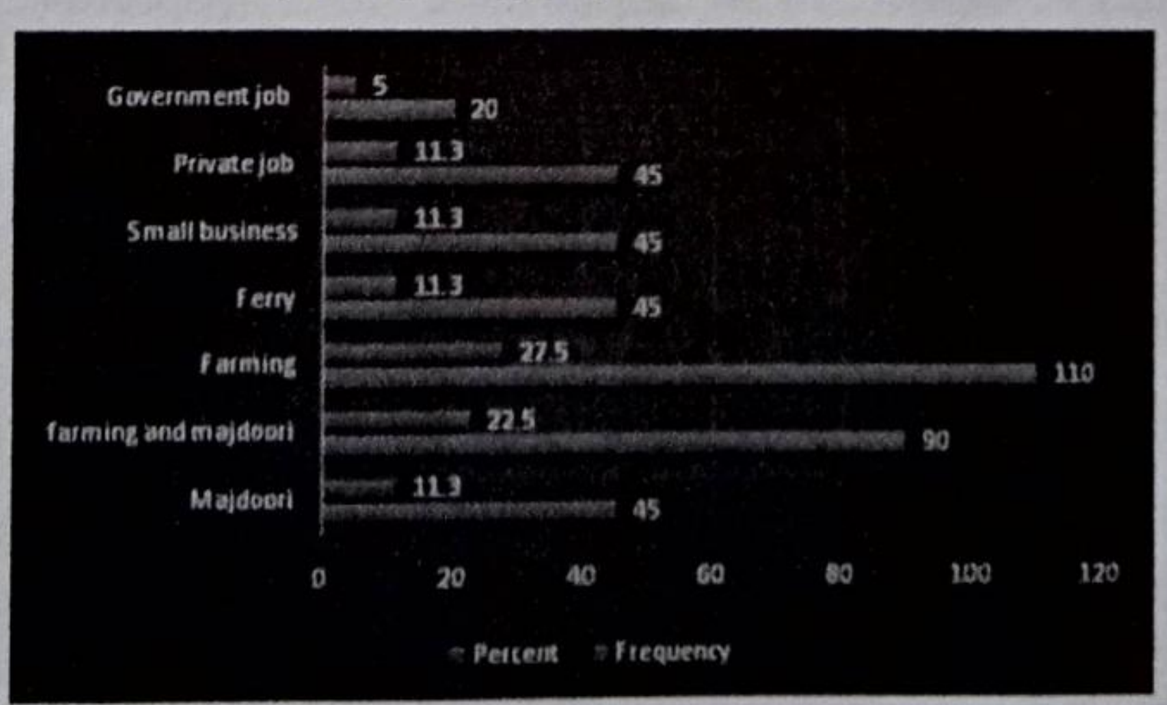

Scanned by TapScanner

इस सर्वेक्षण में हमने दर्शाया है कि प्रतिवादियों का रोजगार स्तर किस तरह का है जिसकी तालिका को हमने सात भागों में विभाजित किया है जिसके प्रथम पद में मजदूरी करने वालों की आवृति 45 है तथा प्रतिशत में 11.3 है, द्वितीय पद में हमने कृशि करने वालों की आवृति 90 है तथा प्रतिशत में 22.5 है, तृतीय पद में हमने फेरी का व्यवसाय करने वालों की आवृती 110 है तथा प्रतिशत में 27.5 है, चतुर्थ पद में हमनें छोटे व्यवसाय करने वालो की आवृति 45 है तथा प्रतिशत में 11.3 है, पंचम पद में हमने निजी नौकरी करने वालों की आवृति 45 है तथा प्रतिशत में 11.3 है, छटवे पद में सरकारी नौकरी करने वालों की आवृति 45 है तथा 11.3 है, सातवे पद में हमने परिवार की समस्त स्त्रोत आय की आवृति 20 है तथा प्रतिशत में 5.0 है।

तालिका कमांकः 6.2 समस्त स्त्रोत से परिवार की आय

आय	आवृति	प्रतिशत	संचित प्रतिशत
10000 से कम	90	22.5	22.5
10000 से 20000 तक	155	38.8	61.3
20000 से 30000 तक	90	22.5	83.8
30001 से 40001तक	45	11.3	95.0
40001 से अधिक	20	5.0	100.0
कुल	**400**	**100.0**	

स्रोतः सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक ऑकड़

चित्र कमांक 6.2 समस्त स्त्रोत से परिवार की आय

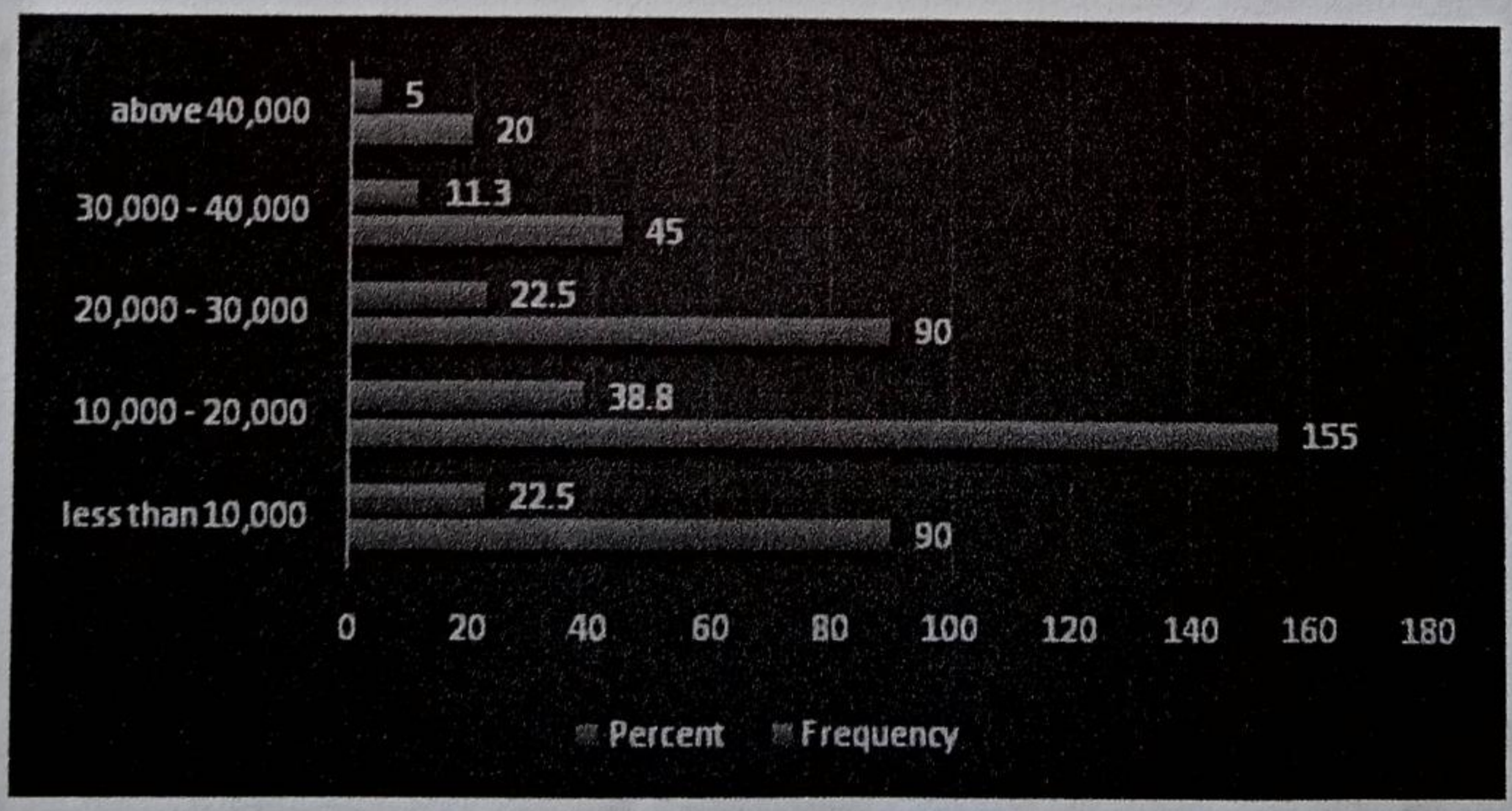

इस सर्वेक्षण में हमने दर्शाया गया है कि परिवार की समस्त स्त्रोत से आय और इसकी तालिका को हमने पाँच भागों में दर्शाया है जिसके प्रथम भाग में हमने 10000 से कम परिवार की आय के स्त्रोत की आवृति 90 है तथा प्रतिशतमें 22.5 है, द्वितीय पद में हमने 10000 से 20000 तक की आय के स्त्रोत की आवृति 155 है तथा प्रतिशत में 38.8 है, तृतीय पद में 20000 में 30000 तक की

Scanned by TapScanner

आय के स्त्रोत की आवृति 90 है तथा प्रतिशत में 22.5 है, चतुर्थ पद में हमनें 30000 से 40000तक के स्त्रोत की आवृति 45 है तथा प्रतिशत में 11.3 है पंचम पद में हमने 40000 से अधिक स्त्रोत की आवृति 20 तथा प्रतिशत में 5.0 है।

तालिका कमांकः 6.3 परिवार का परम्परागत व्यवसाय या पारम्परिक व्यवसाय

व्यवसाय	आवृति	प्रतिशत	संचित प्रतिशत
कृषि	150	37.5	37.5
मजदूरी व कृषि	133	33.3	70.3
मजदूरी	65	16.3	87.0
छोटे व्यवसाय	52	13.0	100.0
कुल	**400**	**100.0**	

स्रोतः सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक ऑकड़े

चित्र कमांक 6.3 पारंपरिक पारिवारिक व्यापार

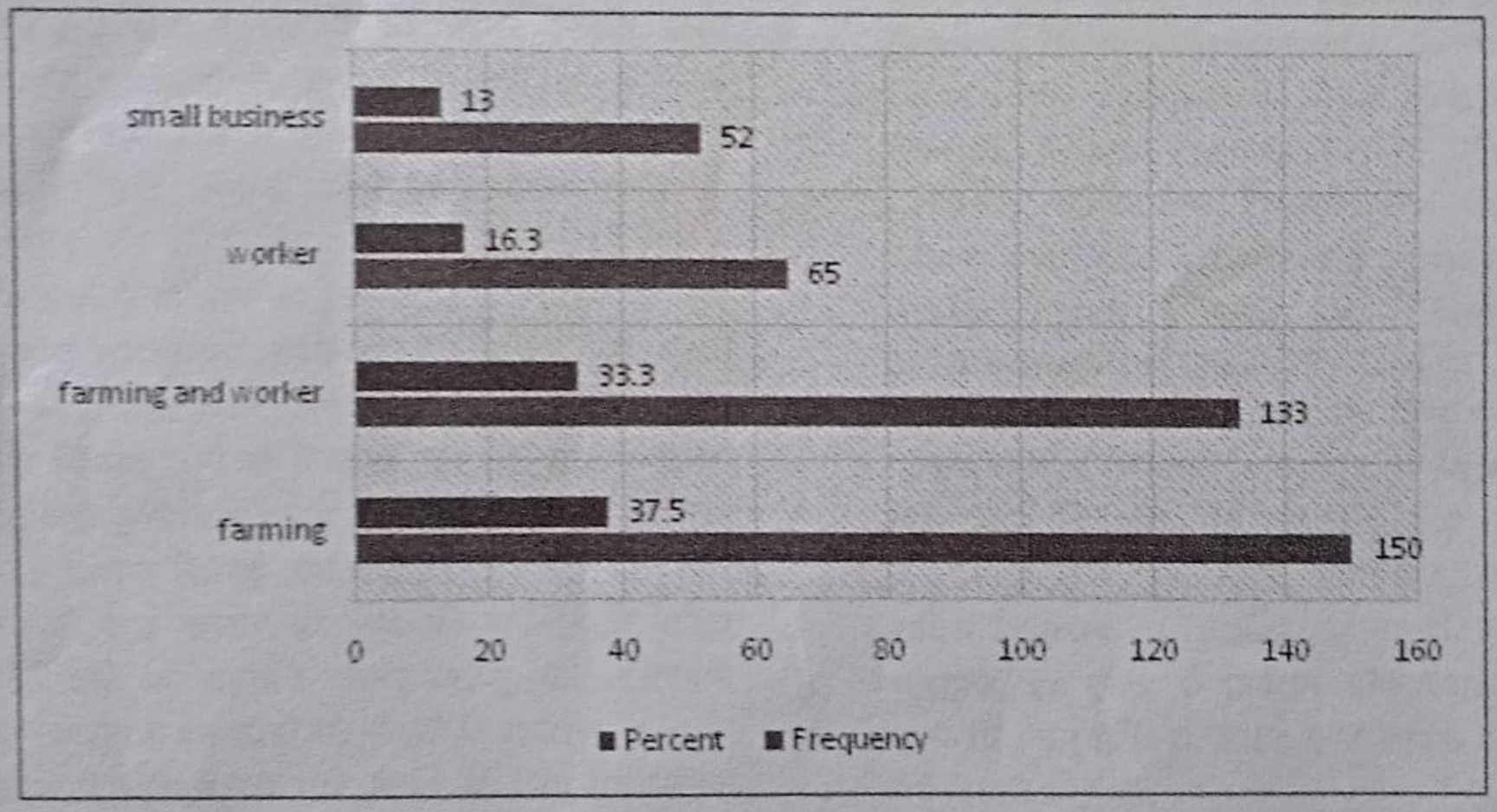

इस सर्वेक्षण में दर्शाया गया है कि परिवार का परम्परागत व्यवसाय या पारम्परिक व्यवसाय क्या है और इसकी तालिका को हमने चार भागों में विभाजित किया है जिसके प्रथम भाग में हमने कृशि करने वालों की आवृति 150 है तथा प्रतिशत में 37.5 है, द्वितीय पद में हमनें मजदूरी व कृशि करने वालो की आवृति 133 है तथा प्रतिशत में 33.3 है, तृतीय पद में हमने मजदूरी करने वालो की आवृति 65 है तथा प्रतिशत में 16.3 है, चतुर्थ पद में हमने छोटे व्यवसाय करने वालो की आवृति 52 है तथा प्रतिशत में 13.0 है।

निष्कर्ष :

इन समस्याओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हालांकि सभी तीन सहायता योजनाओं (एसजीएसवाई, केवीआईबी और एससी/एसटी और बीसी निगम) ने अतिरिक्त रोजगार और आय उत्पन्न की है लेकिन यह वांछित स्तर तक नहीं थी। इस तरह के लेखक को लगता है कि यदि पहचानी गई समस्या के आलोक में सिफारिशों/सुझावों का पालन किया जाता है तो इन सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन

Scanned by TapScanner

तंत्र में सुधार लाया जा सकता है।

- कृषि के व्यावसायीकरण जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जैसे कि नकदी फसलों की खेती, बीजों की उन्नत किस्मों, मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार फलों की विभिन्न किस्मों के उत्पादन को बढ़ावा देने सहित बागवानी, मांग के उत्पादन के लिए संवर्धन सहित फूलों की खेती। फूल, पशुपालन, उन्नत किस्म के पशुधन, मछली पालन और मुर्गीपालन, कुटीर और घरेलू उद्योगों में प्रशिक्षण शिविर के साथ सब्सिडी और आधुनिक उपकरण प्रदान करके स्थानीय उत्पाद बनाने के लिए। सिंचाई सुविधाओं का विकास, मिट्टी और जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कों का जुड़ाव, सामान्य स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा क्षेत्र में शिक्षा।
- पशुपालन, कुटीर उद्योग, कृषि कार्य और मजदूरी कार्य को छोड़कर, सुस्त सर्दियों के मौसम में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई अन्य संभावित आर्थिक खोज नहीं है। इसलिए रोजगार और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए वानिकी और कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं।
- जनजातीय क्षेत्र में सड़कों की बेहतर स्थिति जैसी ढांचागत सुविधाओं से जनजातीय लोगों को जिले के गैर–आदिवासी क्षेत्र के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी और साथ ही उन्हें उत्पादों की उचित कीमत प्रदान की जाएगी।
- अन्य क्षेत्रों में प्रवासन की समस्याओं से निपटने के लिए स्थानीय युवाओं को अपने स्थानीय उत्पादों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- समग्र विकास लाने के लिए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, उद्योग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, परिवहन और साथ ही कुछ बाजार की मांग की गतिविधियों सहित गतिविधियों की पहचान करनी चाहिए, जो अधिकतम प्रदान करता है इन लोगों को नौकरी के अवसर
- आदिवासी विकास की गति बढ़ाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी की दक्षता और प्रभावशीलता पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे एक ओर प्रशासनिक चौनल में कमी करने में मदद मिलेगी और दूसरी ओर यह भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण प्रदान करेगा।
- जनजातीय क्षेत्र जड़ी–बूटियों और औषधीय पौधों और अन्य वन उत्पादों से समृद्ध हैं। अतः गौण वनोपज एकत्र करने के लिए पारिश्रमिक विधि अपनाकर आदिवासी आय और रोजगार में विविधता लाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ :–

1. Ahluwalia (Rural poverty and Agricultural Performance in India, The Journal of Development Studies, 1978),
2. Roy,S.C. 1925/1978. The Birhors , Man in India, Ranchi.
3. Savale, Sanjay Dattatraya (2010), "Emplementation and Performance of Rural Poverty Eradication Programmes: A Comparative Study of EGS and SGRY in Nasik District", *Research Thesis : Department of Sosial Science, Shivaji Unuversity, Kolhapu.*
4. Sen, Swarup (2008), "Analysis and Evaluation of Government Project For Development of Scheduled Trieb in West Bengal: A case Study", *Research Thesis : Department of Commerce, The University of Burdwan, Burdwan, West Bengal.*
5. Sharma, Suresh Chandra (2010), "Impact of Centrally Sponsored Programmes on Poverty Alleviation: A Case Study of Barpeta District of Assam", *Research Thesis: Department of sosial Science, Nagaland Unuversity Lumani.*
6. मिश्रा, पी० के० (1992), हरीजन इन हिन्दू एण्ड ट्राइबल सोश्ल् स्ट्रक्चर, डिस्कवरी पब्लिशि ंग हाउस, नई दिल्ली
7. विश्वनाथन, जी० एण्ड नरसिम्हा (1985), शेड्यूल्ड कास्ट : ए स्टडी इन एजूकेशनल अचीवमेन्ट, साइन्टिफीक सर्विस, हैदराबाद
8. भारद्वाज, ए० एन०, दी प्राबलम ऑफ एस० सी० एण्ड एस० टी० इन इण्डिया, लाइट एण्ड लाइफ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
9. चोरसिया, बी० पी० (1990), शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इण्डिया, चुंग पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, इण्डिया

❑❑❑

Scanned by TapScanner